



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No: NCST/ATY-103/JH/3/2021-RO-RNC

Dated: 16.02.2023

To,

श्रीमती सुरू लागुरी,
पतिश्री अजमोहन लागुरी -,
ग्राम बिरसानगर-,
जोन नं० -2 बी (डडेन इंग्लिश हाई स्कूल के पास),
पो० बिरसानगर -थाना+, जमशेदपुर,
जिला -पूर्वी सिंहभूम -831019
मो० नं० -9334005882

Sub: जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के बिरसानगर थाना पुलिस (एस० टी० एस० सी० थाना) द्वारा मेरे आवेदन पर सही कारवाई नहीं किया जाना तथा आवेदन को वापस लेने हेतु अज्ञात मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में श्रीमती सुरू लागुरी, पति - श्री अजमोहन लागुरी, बिरसानगर, जोन न० - 2 बी, जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम के अभ्यावेदन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **22.02.2023 समय 04:00** (पूर्वाह्न) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा ।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हो ।


(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी /Research Officer